कै। ने भरण पोषण अधिकरणों के पास लीगल सर्विस क्लीनिक का गठन किया है जहां पर वकील / पी.एल.वी. ;स्टेद्ध वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए मौजूद रहतें हैं।

DSLSA ने स्वाभिमान परिसर नामक कॉम्पलेक्स शाहदरा जिले में स्थापित किया है जहां पर डे केयर, मनोरंजन (Recreation) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (Capacity Building) की सुविधाएं उपलब्ध है।

स्वाभिमान परिसर

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए मॉडल परिसर

समुदाय भवन, कस्तूरबा नगर, शाहदरा,दिल्ली
हेल्पलाइन न. 1516, फोनः 22101456 (शाहदरा डी.एल.एस.ए)

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण

पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 36, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन न. 22101336, मोबाइलः 9667992793, ईमेलः east-dlsa@nic.in

शाहदरा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 35-A, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोनः 22101336, मोबाइलः 9667992795
ई मेलः shahdara-dlsa@nic.in

दक्षिणी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
ग्राउड फलोर, युटिलिटी ब्लॉक, साकेत न्यायालय,नई दिल्ली
फोनः 29562440, मोबाइलः 9667992799 ई मेलः south-dlsa@nic.in

नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
पटियाला हाउस न्यायालय,नई दिल्ली
फोनः 23071265, मोबाइलः 9667992802
ई मेलः nddistrict.dlsa@gmail.com

उत्तर पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोनः 27555536, मोबाइलः 9667992798, ई मेलः northwest-dlsa@nic.in

उत्तर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोनः 27557310, मोबाइलः 9667992797, ई मेलः north-dlsa@nic.in

दक्षिण पूर्व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
ग्राउड फलोर, युटिलिटी ब्लॉक, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोनः 29561040, मोबाइलः 9667992800, ई मेलः southeast-dlsa@nic.in

दक्षिण पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 5 ए, प्रशासन ब्लॉक, द्वारका न्यायालय, सेक्टर 10 नई दिल्ली
फोनः 28041480, मोबाइलः 9667992801, ई मेलः southwest-dlsa@nic.in

पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 295, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोनः 23968052, मोबाइलः 9667992792, ई मेलः west-dlsa@nic.in

केन्द्रीय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 287, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोनः 23933231, मोबाइलः 9667992791, ई मेलः central-dlsa@nic.in

उत्तर पूर्व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न. 35, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोनः 22101335, मोबाइलः 9667992794, ई मेलः northeast-dlsa@nic.in

दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति
कमरा न. 33–38, लायर्स चैम्बर्स, दिल्ली उच्च न्यायालय
फोनः 23383418, ई मेलः dhclsc-dhc@nic.in
Tel : 23383418 | Email : dhclsc-dhc@nic.in
Web : www.dhclsc.org

Published : February 2019

Grover # 9810194345

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

कानूनी सहायता संस्थान 'न्याय संयोग'
केन्द्रीय कार्यालय
पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली 110001
फोन न. 011–23071265, मोबाइल : 9870101337
हेल्पलाईन नम्बर : 1516 (24x7 टोल फ्री)
ई.मेल : lae-dslsa@gov.in | वेबसाईट : www.dslsa.org
फेसबुक : https://facebook.com/dslsa

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

वरिष्ठ नागरिकों का एक अलग ही वर्ग है जो विशेश समस्याएं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, चिकित्सा और सुरक्षा आदि से जूझ रहें हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त धारा 125 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत यदि माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो वे अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए दावा कर सकतें हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण हेतु विकल्पों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 बनाया गया था।

➢ **वरिष्ठ नागरिक से क्या अभिप्राय है ?**

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक है तथा जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वरिष्ठ नागरिक कहलाता है।

➢ **इस अधिनियम के अनुसार माता–पिता से क्या अभिप्राय है ?**

इस अधिनियम के अंतर्गत माता–पिता से अभिप्राय जैविक, दत्तक या सौतेले पिता या सौतेली माता से है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक हैं या नही।

➢ **भरण पोषण के लिए पात्र व्यक्ति कौन है ?**

कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, जो कि अपनी आय अथवा अपनी संपति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन देने के योग्य हैं।

➢ **माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कौन करेंगे ?**

वरिष्ठ नागरिक जिसमें माता पिता भी सम्मिलित हैं, भरण पोषण के लिए आवेदन दे सकतें हैं यदि–

क) माता–पिता अथवा दादा दादी हैं तो एक या अधिक व्यस्क बच्चों के विरूद्ध।

ख) ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके कोई बच्चा नही हैं, वे उस रिश्तेदार के विरूद्ध जो उनका कानूनी वारिस है और अव्यस्क नही है या जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है।

बच्चों अथवा रिश्तेदारों का यह दायित्व है कि आवश्यकतानुसार वह माता–पिता अथवा पिता या माता या दोनो की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे, जिससे कि माता–पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

भरण पोषण के लिए आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध दिया जा सकता है। जहां किसी वरिष्ठ नागरिक की संपति का एक से अधिक संबंधी उतराधिकारी हैं वहां भरण पोषण ऐसे संबंधियों के द्वारा उस अनुपात में प्रदान किया जाएगा, जिस अनुपात में वे उनकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे।

➢ **अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण में क्या सम्मिलित है ?**

अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण में रोटी–पानी, वस्त्र, निवास और चिकित्सा सहायक एवं चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करवाना सम्मिलित है। अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 10,000/– रू तक की राशि का अवार्ड किया जा सकता है। अधिकरण भरण पोषण की कार्यवाही लंबित होने के दौरान वरिष्ठ नागरिकों जिसमें माता पिता सम्मिलित है, के लिए भरण पोषण की अंतरिम भुगतान राशि के आदेश दे सकता है।

➢ **अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कौन दे सकते है ?**

अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा दिया जा सकता है –

- किसी वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के द्वारा।
- यदि वह अक्षम है तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा।
- अधिकरण स्वयं भी संज्ञान ले सकता है।

➢ **भरण पोषण के लिए आवेदन कहाँ दायर किया जा सकता है ?**

भरण पोषण अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जा सकता हैं जो कि प्रत्येक जिले में गठित किए गए हैं।

किसी बच्चे अथवा रिश्तेदार के विरूद्ध भरण पोषण से संबंधित कार्यवाही किसी भी जिले में की जा सकती है:

क) जहां वरिष्ठ नागरिक अथवा माता पिता वर्तमान में निवास कर रहें हो अथवा जहां उन्होने अंत में निवास किया था।

ख) जहां बच्चे अथवा रिश्तेदार रहतें हों।

भरण पोषण अधिकरण के द्वारा पास आदेश से यदि कोई माता पिता या वरिष्ठ नागरिक संतुष्ट नही है तो वह अपीली अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले में अपीली अधिकरण गठित किए गए हैं।

➢ **अधिकरण वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता की सहायता के लिए क्या आदेश पास कर सकता है ?**

अधिकरण यदि उचित समझता है तो बच्चों अथवा रिश्तेदारों को वरिष्ठ नागरिकों अथवा माता पिता के भरण पोषण हेतु मासिक भत्ते देने का आदेश कर सकता है। परिस्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इस आदेश को बदला भी जा सकता है।

➢ **अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण को कितने समय में केसों का निपटारा करना है ?**

अधिकरण भरण पोषण के केसों का निपटारा 90 दिन के अंदर कर सकता हैं, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में यह अवधि 30 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है।

➢ **अधिकरण के द्वारा पास किए गए भरण पोषण के आदेश को किस प्रकार लागू किया जाता है?**

अधिकरण के द्वारा आदेश होने के 30 दिन के भीतर जिन बच्चों या रिश्तेदारों के विरूद्ध भरण पोषण की राशि देने के आदेश किए हैं, वह राशि देना आवश्यक होता है। अधिकरण के द्वारा किसी भी स्थान में आदेश लागू किया जा सकता है जहां मौजूद है वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध आदेश लागू किया गया अथवा वह व्यक्ति जिसके लिए लागू किया गया। यदि बच्चे या रिश्तेदार बिना किसी उचित कारण के उस आदेश का पालन नही करते तो अधिकरण उस राशि को प्राप्त करने के लिए वारंट भी जारी कर सकता है। इस राशि को एकत्र करने के लिए अधिकरण जुर्माने के साथ–2 सजा भी सुना सकता है। हालांकि जिस तारीख से राशि दी जानी थी उस तारीख से 3 महीने के भीतर राशि की वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए।

➢ **क्या संपत्ति के संदर्भ में भी कोई प्रावधान है ?**

जहां किसी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा अपनी संपत्ति इस शर्त पर हस्तांतरित की गई हो कि हस्तांतरी उन्हें मूलभूत सुविधाएं अथवा उनकी मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण करेगा और वह हस्तांतरी ऐसा करने से इंकार कर देता है या पूर्ण करने में असफल होता है तो उक्त संपत्ति का हस्तांतरण छल, कपट या अनुचित दबाव में समझा जाएगा। इस स्थिति में अधिकरण उस हस्तांतरण को शून्य जैसे कि प्रभावी नही घोशित कर सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा संस्थान के द्वारा वरिष्ठ नागरिक के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता है।

➢ **वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा किए जाने की स्थिति में क्या कोई दंड का प्रावधान है ?**

दिल्ली में यदि कोई वरिष्ठ नागरिक को उनका पुत्र या पुत्री या वारिस भरण पोषण नही देता या उनसे दुर्व्यवहार करता है तो वे उन्हें अपनी स्वार्जित संपत्ति (Self acquired property) से निकालने के लिए उपायुक्त/जिलाधिकारी (DC/DM) को आवेदन दे सकतें हैं।

➢ **वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राज्य सरकार का क्या दायित्व है ?**

- अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है जिसमें 150 जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को रखा जा सके।
- वे अस्पताल जो सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जातें हैं अथवा वे अस्पताल जो सरकार से पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त करतें हैं, जहां तक संभव हो, सरकार उन सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेड उपलब्ध करवाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया जाएगा जिससे कि उन्हें लंबी पंक्तियों में इंतजार न करना पड़े।
- राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विज्ञापन, जागरूकता आदि सभी उपायों को सुनिश्चित करेगी।

➢ **वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए DSLSA के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?**

DSLSA दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध करवाता है। यदि आप निम्नलिखित वर्गो में से किसी वर्ग में आतें हैं तो आप इस प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकतें हैं –

- प्रत्येक नागरिक जिनकी सलाना आय एक लाख रू. से कम है।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जिनकी सलाना आय दो लाख रू. से कम है।
- स्त्री।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- किसी संरक्षण गृह में या मनोचिकित्सालय में रह रहे व्यक्ति।
- किसी आपदा जैसे महाविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति।
- औद्योगिक कर्मी।
- विकलांग व्यक्ति – अंधेपन से पीड़ित, चलने फिरने में असमर्थ, श्रवण संबंधी विकलांगता, मानसिक अस्वस्थता, मंदता अथवा जिनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है।

कानूनी सहायता के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए DSLSA अथवा किसी भी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क कर सकतें हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक योजना, 2016 बनाई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के द्वारा की जाने वाली विविध गतिविधियां अभिलिखित हैं। DSLSA नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य हितधारकों जैसे कि पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी आदि के लिए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता हैं।